

28/11/19

वकील कार्यालय प्रति. 3 एचओ 7 डी
 घोष प्रति. सं. 1 व 2 की तमकी हेतु
 वादी को तमकाण प्रेषण करे हेतु
 डि० 12/11/17 को आदेविल किफायत
 उनके उपरान्त वादी को डि० 20/12/18,
 31/1/19 को भोंके डिये गये। वकील
 वादी को डि० 21/11/19 को न्यायदिव
 में एक अन्तिम अवसर प्रति. सं.
 1 व 2 की तमकी रडिपणक ए.डी
 प्रेषण करे हेतु डिये गयी लेकिन
 वकील कार्यालय के प्रति. सं. 1 व 2 की
 तमकी हेतु तमकाण प्रेषण नहीं
 किये। अतः वाद वादी अन्तर्गत
 धारा 09 R.O.S एके तहत
 अदालत तमकी NON-compliance
 में प्राप्ति किफायत पत्रकी
 नम्बर से कर होकर वाद तमकी
 दाविल दफ्तार हो। (सुनना गण)

2019
 234
 शक्तिपत्र

[Signature]